राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), पाली

क्रमांक/सहायता/2023–24/1342 दिनांक : 01.07.2024

प्रेषितिः– मै0 एस.वी.ए. कन्शट्रक्शन एण्ड लेबर सप्लायर्स,
24, नाडी मोहल्ला, पाली
मोबाईल–96727–07860

विषयः–जिला कलक्टर, पाली के सहायता शाखा में एक "कम्प्यूटर ऑपरेटर मैन विद् मशीन" की सप्लाई करने बाबत्।

प्रसंगः– इस कार्यालय की सीमित निविदा क्रमांकः 1247 दिनांकः 11.06.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित सीमित निविदा के क्रम में इस कार्यालय में कम्प्यूटर कार्य करने हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मैन विद् मशीन (कम्प्यूटर सेट, लेजर प्रिन्टर, यू.पी.एस. सहित) संविदा आधार पर सप्लाई करने हेतु आमंत्रित सीमित निविदा के क्रम में आप द्वारा प्रस्तावित दरें न्यूनतम होने से निम्नानुसार अनुमोदित की गई है।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराने वाली सामग्री का किराया प्रति माह	EPFदर प्रतिशत @12%	ESI दर प्रतिशत @3.25%	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	उच्च कुशल	8658	1	1039	281	0.01	9979.01

अतः आप कम्प्यूटर ऑपरेटर मैन विद् मशीन दिनांक 01.07.2024 से 28.02.2025 तक के लिए इस कार्यालय को निम्न शर्तो पर अविलम्ब उपलब्ध करावें।

शर्तेः–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
2. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करायी गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
3. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
4. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर नियमानुसार संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

RajKaj Ref
8525309

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by R[illegible]sh Goyal
Designation : Addit[illegible]al Collector
And Additiona[illegible]ct Magistrate
Date: 2024.07.0[illegible]8:59:28 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

5. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

6. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boardsलगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helplineनम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधित प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

7. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

8. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को समय पर जमा करवाने की सम्पुर्ण जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

9. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का समपुर्ण दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं पुर्णरुपेण उत्तरदायी होगा।

10. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का ही होगा।

12. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को सूचित करते हुए आवश्यक होने पर संवेदक को नियमानुसार (Debar) कराने की कार्यवाही करेगी।

14. सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्ति पर कार्य प्रारम्भ करने से पुर्व रू. 500/- के नॅान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपने खर्चे पर अनुबन्ध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा राशि 3000/- कार्य प्रतिभुति पेटे जमा करानी होगी। इसमें बोली धरोहर राशि समायोजन योग्य होगी। प्रतिभुति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा तथा अनुबंध कार्य संतोष जनक पुर्ण होने पर कार्य प्रतिभुति राशि लौटाई जावेगी।

15. सफल बोलीदाता से अनुबंध प्रारम्भ में 12 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जायेगा।

RajKaj Ref
8525309

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by R[illegible]sh Goyal
Designation :Addit[illegible]al Collector
And Additiona[illegible]ct Magistrate
Date: 2024.07.0[illegible]8:59:28 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

16. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण राज्य सरकार के नियमानुसार बोली प्रपत्र में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।

17. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी।

18. सफल बोलीदाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार बोलीदाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

19. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपये की दण्डात्मक कटौती की जावेगी।

20. विशेष परिस्थितियों में विभाग उक्त चार दिन की अवधि को बढ़ा सकेगा एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह सफल बोलीदाता को को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।

21. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो सफल बोलीदाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

22. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो सफल बोलीदाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा को निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।

23. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि सफल बोलीदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

24. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

25. भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभारित किया जावेगा।

26. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा पाली में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

27. अनुबंध अवधि में संविदाकार द्वारा लगाये गए श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उससे उत्पन्न होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए संविदाकार ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, इस कार्यालय/संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

28. अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा या उसके किसी सारवान भाग को बिना इस कार्यालय की अनुमति के किसी अन्य एजेंसी को नही सौंपेगा या सबलेट नही करेगा।

29. इस कार्य हेतु नियुक्त ऑपरेटर संवेदक के कार्मिक होगें एवं पुर्णतः अस्थाई/संविदा/अंशकालिक कार्मिक होगें तथा पारिश्रमिक के भुगतान के लिए संवेदक ही पुर्णतः उत्तरदायी होगा। संवेदक व उसके द्वारा नियुक्त कार्मिकों के बीच भुगतान के विवाद के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

RajKaj Ref
8525309

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by R[illegible]sh Goyal
Designation : Addit[illegible]al Collector
And Addition[illegible]ict Magistrate
Date: 2024.07.0[illegible]8:59:28 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

30. राज्य हित में निविदा संशोधन/निरस्त करने तथा दरें स्वीकार/अस्वीकार करने का पुर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर, पाली का निर्णय अंतिम होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय क्षैत्र पाली होगा।

31. उपलब्ध कराये जाने वाले ऑपरेटर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, ऑपरेटर, यू.पी.एस व उपकरण वित्त बजट विभाग राज., जयपुर के परिपत्र कमांकःएफ9 (1)एफडी–1(1)बजट/2004 दिनांक 28.07.2008 एवं कमांकः एफ9(1)एफडी–1 (1) बजट/2012 दिनांक 01.05.2014 की शर्तो के तहत निम्नानुसार होने चाहिये।

32. संवेदक अनुबंध अवधि के बीच में कार्य छोडकर चला जाता है अथवा निर्धारित अवधि तक अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य नही करता है तो ऐसी दशा में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को उसकी Risk & Cost पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का अधिकार होगा एंव उसकी उसकी वसूली अनुबन्धकर्ता से की जावेगी।

33. इस कार्यालय द्वारा विधमान दर संविदा उसी कीमत, निबंधनो और शर्तों पर तीन मास की कालावधि के लिऐ बढाई जा सकेगी।

34. शेष शर्ते राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर,पाली

दिनांक :01.07.2024

क्रमांक/सहायता/2023–24/1343-46

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के प्रेषित है :–

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, आ.प्र.,सहायता एवं ना.सु. विभाग राज0 जयपुर।
2. श्रीमान कोषाधिकारी, पाली।
3. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर, पाली।
4. कार्यालय हाजा.......................................

अति. जिला कलक्टर, पाली

RajKaj Ref 8525309

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by R[illegible]sh Goyal
Designation : Addit[illegible]al Collector
And Additiona[illegible]ct Magistrate
Date: 2024.07.0[illegible]8:59:28 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner